फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

चन्दाराम बनाम प्रकाश वगै0

संख्या : 84/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
03.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगणो/अप्रार्थीगणों को सुनवाई हेतु तलबी जरिये रजि0 एoडी0 से करवाकर रजि0 डाक रसीद पेश करने हेतु पूर्व में आदेशित किया जा चुका है। लेकिन वकील वादी/प्रार्थी द्वारा पत्रावली मे आदिनांक तक प्रतिवादीगणों/अप्रार्थीगणों को तलबी करवाकर रजि0 डाक रसीद पेश नही की है। जिससे यह जाहिर होता है कि वकील वादी व वादी/प्रार्थी उक्त पत्रावली मे को केवल न्यायालय में स्टे प्राप्त करने हेतु ही पेश किया गया है। किसी प्रकार को कोई अनुतोष नही चाहा गया है। चुकि पत्रावली में वकील वादी/प्रार्थी को तलबी हेतु कई अवसर दिये जा चुके है। लेकिन वकील वादी/प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश की बार-बार अवहेलना की है। जिससे वादी के वाद/प्रार्थना पत्र को न्यायालय के आदेशों की पालना नही करने पर नोन कम्पलाईन्स में खारिज करना उचित समझते है। अतः वादी/प्रार्थी का वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। प्रत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर	